

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-04082021-228720
SG-DL-E-04082021-228720

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 213]	दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 3, 2021/श्रावण 12, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 111
No. 213]	DELHI, TUESDAY, AUGUST 3, 2021/SRAVANA 12, 1943	[N. C. T. D. No. 111

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस-II) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 26 जुलाई, 2021

सं. फा. 8/295/2020/गृह पु.-II/1651-63.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना संख्या 11011/2/74-यू टी एल (i) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 24.06.2020 की पूर्ववर्ती अधिसूचना सं. 8/95/2020/गृह पु.-II/2112 द्वारा नियुक्त 11 विशेष लोक अभियोजकों के अनुक्रम में सक्षम प्राधिकारी, एतद् द्वारा निम्नलिखित 03 विधि अधिकारियों/वरिष्ठ अधिवक्ताओं/अधिवक्ताओं को विशेष लोक अभियोजकों के रूप में नियुक्त करते हैं :-

1. श्री मधुकर पांडेय
2. श्री संजीव सहाय
3. श्री मनु शर्मा

ये विशेष लोक अभियोजक सभी अदालती कार्यवाहियों का संचालन करेंगे जिनमें जमानत, मुकदमें, अपील तथा समस्त अन्य विविध मामले, आवेदन और आरोपी पक्ष या गैर सरकारी संगठनों द्वारा विभिन्न न्यायालयों में नागरिकता संशोधन कानून विरोधी प्रदर्शनों और दिल्ली में इन प्रदर्शनों के कारण उत्पन्न कानून एवं व्यवस्था की स्थिति से संबंधित मामलों में पंजीकृत सभी एफ.आई. आर. जिसमें उत्तर पूर्व जिला, दिल्ली के दंगों के मामले शामिल हैं। शुल्क निबंधन एवं शर्तें बाद में निर्धारित की जाएंगी।

यह माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
एल. के. गौतम, उप-सचिव (गृह-II)

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 26th July, 2021

No. F. 8/295/2020/HP-II/1651-63 .—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. 11011/2/74-UTL (i) dated the 20th March, 1974, and in continuation to the 11 Special Public Prosecutors appointed vide earlier Notification No. F.8/95/2020/HP-II/2112 dated 24.06.2020, the Competent Authority, is pleased to appoint the following 03 Law Officers/ Senior advocates/advocates, as Special Public Prosecutors:—

1. Sh. Madhukar Pandey,
2. Sh. Sanjeev Sahay,
3. Sh. Manu Sharma,

They shall conduct all court proceedings including Bail, Trial, Appeals, and all other Miscellaneous matters, applications and Writ Petition filed by the accused parties or NGOs in various courts in connection with all the FIRs which have been registered in cases related to Anti-CAA protests and Law & Order situation arising out of these protests in Delhi, which include riots cases of North East District, Delhi. The fee terms & conditions will be settled in due course.

This issues with the approval of Hon'ble Lieutenant Governor, GNCT of Delhi.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
L. K. GAUTAM, Dy. Secy. (HOME-II)